संख्या- 38 /548/24-1-17-81 पी/2015

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कार्यवाहक निदेशक,

विद्वुत सुरक्षा निदेशालय,

विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 10 अप्रैल, 2017**

विषय:विद्वुत सुरक्षा निदेशालय को वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयोजनेत्तर मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में विद्वुत सुरक्षा निदेशालय के अधिष्ठांन कार्यों के लिए प्राविधानित धनराशि रूपये 27,92,33,000/- (रूपये सत्ताई करोड़ बान्नबें लाख तैंतीस हजार मात्र) में से प्रथम पॉच माहों के लिए (माह अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) लेखानुदान हेतु धनराशि रूपये **10,93,39**,000/- (रूपये दस करोड़ तिरान्नबें लाख उनतालिस हजार मात्र) संलग्नक के अनुसार व्यय करने हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उपरोक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.12.2003 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा क्षेत्रीय/जोनल कार्यालयों के लिए धनराशि का तत्काल आवंटन कर शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) आय-व्ययक को आकस्मिक मदों में व्यय एवं वस्तुओं को क्रय करते समय उ0प्र0 स्टोर परचेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी आदेशों का पालन विशेष ध्यान रख कर किया जायेगा।

(3) मद संख्या-46 में स्वीकृत धनराशि निदेशालय द्वारा ऊर्जा विभाग का अनुमोदन/ अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-आयोजनेत्तर-103-संग्रहण प्रभार- विद्वुत शुल्क-03- विद्वुत सुरक्षा निदेशालय" के नामे डाला जायेग।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 38 /548(1)/24-1-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 38 /548/24-1-17-81 पी/2015, दिनांक अप्रैल, 2017 का संलग्नक

लेखाशीर्ष एवं मद का नाम	वर्ष 2017-18 के लिए आय-व्ययक के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि (रू0हजार में)
अनुदान संख्या-9के लेखाशीर्ष "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-आयोजनेत्तर-103-संग्रहरण प्रभार-विद्वुत शुल्क-03-विद्वुत सुरक्षा निदेशालय"	
01- वेतन	93084
02- मजदूरी	40
03- महंगाई भत्ता	4700
04- यात्रा व्यय	800
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200
06- अन्य भत्ते	4400
07- मानदेय	40
08- कार्यालय व्यय	625
09- विद्वुत देय	625
10- जलकर/जल प्रभार	625
11- लेखन सामाग्री और फार्मों की छपाई	290
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	330
13- टेलीफोन व्यय	330
15- गांडियों का अनुक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	540
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40
17- किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	1040
18- प्रकाशन	20
26- मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	40
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10
45- अवकाश यात्रा व्यय	20
46- कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफटवेयर का क्रय	400
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	300
49- चिकित्सा व्यय	800
51- वर्दी व्यय	40
योग-	**109339**

(रूपये दस करोड़ तिरान्नबें लाख उनतालिस हजार मात्र)

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in